

उत्तर प्रदेश शासन  
नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन  
कार्यक्रम विभाग  
संख्या: 517 / 69-1-96-58 एन.आर.वाई./ 96  
लखनऊ: दिनांक: 12 सितम्बर, 1996

कार्यालय ज्ञाप

शासन के नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के अन्तर्गत नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन सम्बन्धी तीनों महत्वपूर्ण योजनाओं (1) नेहरू रोजगार योजना, (2) नगरीय गरीबों के लिए मूलभूत सुविधायें, (3) प्रधानमंत्री की एकीकृत नगरीय गरीबी उन्मूलन योजना के नियमित अनुश्रवण तथा समीक्षा हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्नवत् राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति के गठन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2. प्रमुख सचिव / सचिव, वित्त	सदस्य
3. प्रमुख सचिव / सचिव, नियोजन	सदस्य
4. प्रमुख सचिव / सचिव, आवास	सदस्य
5. प्रमुख सचिव / सचिव, नगर विकास	सदस्य
6. निदेशक, राज्य नागर/विकास अभिकरण	सदस्य
7. आवास आयुक्त, उ.प्र.	सदस्य
8. निदेशक, संस्थागत वित्त निदेशालय	सदस्य
9. प्रबन्ध निदेशक, अनुसूचित जाति/ जनजाति, वित्त एवं विकास निगम	सदस्य
10. प्रबन्ध निदेशक, महिला कल्याण निगम	सदस्य
11. भारत सरकार द्वारा नामित दो प्रतिनिधि	सदस्य
12. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग	सदस्य / सचिव

उपरोक्तानुसार गठित समिति निर्दिष्ट योजनाओं की त्रैमासिक समीक्षा करेगी।

भवदीय,

(सुधीर कुमार)  
सचिव

नगरीय रोजगार एवं गरीबी  
अभिकरण विभाग।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश।
2. महामहिम श्री राज्यपाल के सलाहकार (श्री एस.एस. आचार्य) के स्टाफ आफिसर।
3. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर।

4. प्रमुख सचिव / सचिव, नियोजन, उ.प्र. शासन।
5. प्रमुख सचिव / सचिव, वित्त विभाग, उ.प्र. शासन।
6. प्रमुख सचिव / सचिव, आवास, उ.प्र. शासन।
7. प्रमुख सचिव / सचिव, नगर विकास, उ.प्र. शासन।
8. प्रमुख सचिव / सचिव, संस्थागत वित्त।
9. प्रमुख सचिव / सचिव, समाज कल्याण विभाग।
10. प्रमुख सचिव / सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग।
11. निदेशक, राज्य नागर विकास अभिकरण, उ.प्र., लखनऊ।
12. आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
13. निदेशक, संस्थागत वित्त निदेशालय, उ.प्र.।
14. प्रबन्ध निदेशक, अनुसूचित जाति / जनजाति, वित्त एवं विकास निगम, उ.प्र.।
15. प्रबन्ध निदेशक, महिला कल्याण निगम, उत्तर प्रदेश।
16. संयुक्त सचिव, शहरी कार्य और गरीबी उपशमन विभाग, भा / स, नई दिल्ली-110011 को उनके अद्वैता  
पत्र संख्या / के.-14014 / 7 / 96 यू.पी.ए. (एन. ओर. वाई.), दिनांक 8 / 16 अगस्त, 1996 के संदर्भ में  
सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(सुधीर कुमार)  
नगरीय रोजगार एवं गरीबी  
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग  
उ.प्र. शासन।